## आदेश पत्रक

**न्यायालय: उपजिलाधिकारी**
**मण्डल :आगरा, जनपद :मथुरा, तहसील :महावन**
**वाद संख्या :-02596/2020**
**कंप्यूटरीकृतवाद संख्या :-T20201500502596**
**ठा० भेदजीत सिंह एजुकेशन सोसाइटी बनाम उ०प्र०सरकार**
**अंतर्गत धारा :-80,अधिनियम :-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता – 2006**

# आदेश

उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत प्रार्थी ठाकुर भेदजीत सिंह एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक अजीत सिंह पुत्र धर्मजीत सिंह निवासी कचनऊ तहसील महावन जिला मथुरा द्वारा दिनांक 11.03.2020 को एक प्रार्थना पत्र मई शपथ पत्र के साथ इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी मौज बरौली के खाता संख्या 183 खसरा संख्या 864 रकवा 0.283 है० व खसरा संख्या 865 रकवा 0.243 है० खसरा संख्या 869 रकवा 0.162 है० व खसरा संख्या 871 रकवा 0.134 है० व खसरा संख्या 872 रकवा 0.166 है० व खसरा संख्या 880 रकवा 0.069 है० व खसरा संख्या 887 रकवा 0.210 है० व खसरा संख्या 888 रकवा 0.085 है० व खसरा संख्या 870 रकवा 0.182 है० कुल 9 किता रकवा 1.534 है० पर प्रार्थी अन्य सहखातेदारों के साथ संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कागजात है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि के खसरा संख्या 864 रकवा 0.283 है० व खसरा संख्या 865 रकवा 0.243 है० खसरा संख्या 869 रकवा 0.162 है० को अकृषिक भूमि घोषित कराना चाहता है। यह कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वागवानी पालन आदि के प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है। प्रश्नगत भूमि आबादी के प्रयोजन में लायी जा रही है तथा मौके पर विद्यालय बना हुआ है। अंत मे प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जावें।

प्रश्नगत प्रकरण की जनवः तहसीलदार महावन से कराई गई। तहसीलदार महावन ने अपनी जांच आख्या दिनांक 15.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया है की प्रार्थी मौजा बरौली के खाता संख्या 183 खसरा संख्या 864 रकवा 0.283 है० व खसरा संख्या 865 रकवा 0.243 है० खसरा संख्या 869 रकवा 0.162 है० व खसरा संख्या 871 रकवा 0.134 है० व खसरा संख्या 872 रकवा 0.166 है० व खसरा संख्या 880 रकवा 0.069 है० व खसरा संख्या 887 रकवा 0.210 है० व खसरा संख्या 888 रकवा 0.085 है० व खसरा संख्या 870 रकवा 0.182 है० कुल 9 किता रकवा 1.534 है० पर प्रार्थी अन्य सहखातेदारों के साथ संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कागजात है। । प्रार्थी उपरोक्त भूमि के खसरा संख्या 864 रकवा 0.283 है० व खसरा संख्या 865 रकवा 0.243 है० खसरा संख्या 869 रकवा 0.162 है० को अकृषिक भूमि घोषित कराना चाहता है। यह कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वागवानी पालन आदि के प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है। यह की प्रश्नगत भूमि मौके पर आबादी के प्रयोग में आ रही है तथा विद्यालय बना हुआ है। यह की प्रश्नगत भूमि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद या अन्य शासकीय विभाग द्वारा व्यवस्था एवं अन्य प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किये जाने हेतु प्रस्तावित नहीं है। पुष्टि हेतु नक़ल खतौनी, सी०एच० शपथ पत्र , फोटोग्राफ संलग्न है । प्रार्थी उपरोक्त भूमि का 01 प्रतिशत जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित रेट सूचि के अनुसार जमा करने एवं 01 प्रतिशत न्याय शुल्क के रूप में कोर्ट फीस स्टाम्प दाखिल करने हेतु तैयार है।अंत में उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु जाँच आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

आवेदक द्वारा अपने हिस्से के खसरा संख्या 864 रकवा 0.283 है० व खसरा संख्या 865 रकवा 0.243 है० खसरा संख्या 869 रकवा 0.162 है० पर जिलाधिकारी मथुरा की सर्किल रेट सूचि के अनुसार 95 लाख रु० प्रति० हेक्टेयर के अनुसार मु० 38,47,500/- रु० की मालियत पर 1 प्रतिशत 38475/- रु० को लेखाशीर्षक 0029 में चालान संख्या 0700/01/HU/80388 दिनांक 27.08.2020 को जमा किया जा चुका है एवं इतनी ही धनराशि के कोर्ट फीस स्टाम्प भी दाखिल किये गए जो पत्रावली पर उपलब्ध है ।

अतः प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र तथा तहसीलदार महावन की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक 15.08.2020 के आधार पर उ०प्र०राजस्व संहिता, 2006 की धरा 80 के अंतर्गत उक्त भूमि को निम्न प्रारूप पर इस शर्त के साथ अकृषिक घोषित किया जाता है कि यदि उक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य होता पाया जाता है तो कृषि भूमि मानकर भू-राजस्व इत्यादि योजित क्र दिया जायेगा तथा मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पूर्वत नियमों/ निर्देशों एवं अन्य किसी विधिक प्राविधानों के उल्लंघन कि स्थिति में यह उद्घोषणा स्वतः निरस्त मानी जाएगी ।

उप जिलाधिकारी महावन जिला-मथुरा

**आदेश पत्रक**

**न्यायालयः उपजिलाधिकारी**
**मण्डल :आगरा, जनपद :मथुरा, तहसील :महावन**
**वाद संख्या :-02596/2020**
**कंप्यूटरीकृतवाद संख्या :-T20201500502596**
**ठा० भेदजीत सिंह एजुकेशन सोसाइटी बनाम उ०प्र०सरकार**
**अंतर्गत धारा :-80,अधिनियम :-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता – 2006**

1- किस धारा के अंतर्गत कृषिक घोषित कि जा रही है । - धारा 80 राजस्व संहिता 2006

2- भूमि किस ग्राम में स्थित है । - बरौली

3- भमि का विवरण - खसरा संख्या 864 रकवा 0.283 है० व खसरा संख्या 865 रकवा 0.243 है० खसरा संख्या 869 रकवा 0.162 है०

4- भूराजस्व - 17.00 रु०

5- भूमिधर का नाम व पता - प्रार्थी ठाकुर भेदजीत सिंह एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक अजीत सिंह पुत्र धर्मजीत सिंह निवासी कचनऊ तहसील महावन जिला मथुरा ।

तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हेतु तहसीलदार महावन को परवाना अमलदरामद भेजा जाये व आदेश कि प्रति उप निबन्धक मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये । तहसीलदार महावन कि रिपोर्ट आदेश का अंग रहेगी । वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर कि जावे ।

**दिनांक:-04/ 09/ 2020**

04.9.2020

**(हनुमान प्रसाद)**
**उप जिलाधिकारी, महावन**
**मथुरा ।**